



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या - 1796 वर्ष 2026

योगेश कुमार @ सूरज यादव

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ और अन्य के माध्यम से

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : कपिल कुमार यादव, हिमाद्री
गोस्वामी

विपक्षीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बातें सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन दिनांक 18.10.2023 के समन आदेश और दिनांक 18.06.2023 के आरोप पत्र संख्या 1 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, जो कि वाद अपराध संख्या 229/2023, धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और 3(1)(da) 3(1)(dha) एससीएसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन गोसाईगंज, जिला लखनऊ से संबंधित है, साथ ही निचली अदालत के समक्ष लंबित सत्र परीक्षण संख्या 3282/2023 की संपूर्ण कार्यवाही को भी रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध प्रकट नहीं हुआ है और वर्तमान अभियोग उत्पीड़न के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध अपराध सिद्ध होता है। आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण चरण में नहीं किया जा सकता। इसलिए, आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।
5. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों का अवलोकन करने और मामले के तथ्यों को देखने तथा अदालत में दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध हुआ है।
6. प्रक्रिया जारी करने के चरण में निचली अदालत से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अभिलेख में रखे गए साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मूल्यांकन करे; उसे केवल यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने उन दिशा-निर्देशों को भी निर्धारित किया है जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय निम्नलिखित मामलों में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है और उसे रद्द कर सकता है:- (i) आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एस.सी. 866, (ii) हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, 1992 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 426, (iii) बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 192 और (iv) ज़ंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक और अन्य, (पैरा-10) 2005 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 283।
7. उपरोक्त निर्णयों से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक चरण में कार्यवाही रद्द करने की कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली कसौटी यह है कि क्या निर्विवाद आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को सिद्ध करते हैं और अंततः दोषसिद्धि की संभावना कम है तथा आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा। एस.डब्ल्यू. पलंकटकर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, 2002 (44) एसीसी 168 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माना है कि आपराधिक कार्यवाही रद्द करना एक अपवाद है, नियम नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों में ही तीन परिस्थितियाँ निर्धारित हैं जिनके अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है: (i) संहिता के अंतर्गत किसी आदेश को प्रभावी करना, (ii) न्यायालय की प्रक्रिया उपकरण के दुरुपयोग को रोकना; (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं, लेकिन वास्तविक और ठोस न्याय प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, जिसके लिए केवल न्यायालय का अस्तित्व है।

8. उच्च न्यायालय जांच नहीं करेगा क्योंकि यह निचली अदालत/न्यायालय का कार्य है। इस मामले में आरोपपत्र/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप करना अपवाद नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे प्रथम दृष्टया अपराध का सिद्ध होना स्पष्ट होता है। परिणामस्वरूप, आरोपपत्र/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है। आवेदक को उचित समय पर सभी आपत्तियाँ उठाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है।
9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2021) 10 एससीसी 773 के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

3. हम दिशा-निर्देशों को स्वीकार करने और उन्हें निचली अदालतों के लाभ के लिए न्यायालय के आदेश का हिस्सा बनाने के इच्छुक हैं। दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

"अपराधों की श्रेणियाँ/प्रकार"

ए) श्रेणी बी और डी में न आने वाले वे अपराध जिनके लिए 7 वर्ष या उससे कम की कारावास की सजा का प्रावधान है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बी) ऐसे अपराध जिनके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक का कारावास की सजा दी जा सकती है।

सी) विशेष अधिनियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध जिनमें जमानत के लिए कड़े प्रावधान हैं जैसे एनडीपीएस (धारा 37), पीएमएलए (धारा 45), यूएपीए (धारा 43डी(5), कंपनी अधिनियम, 212(6), आदि।

डी) विशेष अधिनियमों के अंतर्गत न आने वाले आर्थिक अपराध।

आवश्यक शर्तें

1) जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया।

2) जांच में शुरू से अंत तक सहयोग किया, जिसमें बुलाए जाने पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना भी शामिल है।

(इस प्रकार के आरोपी को आरोपपत्र के साथ अग्रोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है (सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 615))

श्रेणी ए

आरोप पत्र/शिकायत दर्ज होने के बाद संज्ञान लेना

क) प्रथम दृष्ट्या साधारण सम्मन/जिसमें अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति शामिल है।

ख) यदि ऐसा अभियुक्त समन तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो शारीरिक उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

ग) जमानती वारंट जारी होने के बावजूद पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट।

घ) यदि अभियुक्त की ओर से एनबीडब्ल्यू के निष्पादन से पहले ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और अभियुक्त अगली सुनवाई की तारीखों पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने का वचन देता है, तो एनबीडब्ल्यू को अभियुक्त की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिए बिना रद्द किया जा सकता है या जमानती वारंट/समन में परिवर्तित किया जा सकता है।

ई) ऐसे अभियुक्तों की जमानत याचिका पर उपस्थिति के आधार पर, अभियुक्त को शारीरिक हिरासत में लिए बिना या जमानत याचिका पर निर्णय होने तक अंतरिम जमानत देकर निर्णय लिया जा सकता है।

श्रेणी बी/डी

अभियुक्त के न्यायालय में जारी प्रक्रिया के अनुसार पेश होने पर जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

श्रेणी सी

श्रेणी बी और डी के समान, एनडीपीएस धारा 37.45 पीएमएलए, 212(6) कंपनी अधिनियम, यूएपीए की धारा 43 डी(5), पाक्सो आदि के अंतर्गत जमानत के प्रावधानों के अनुपालन की अतिरिक्त शर्त के साथ।

4. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रेणी ए में पुलिस मामले और शिकायत मामले दोनों शामिल हैं।

5. निचली अदालतें और उच्च न्यायालय जमानत आवेदनों पर विचार करते समय उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेंगे। विद्वान सहायक न्यायिक सलाहकार द्वारा यह चेतावनी दी गई है कि जहां आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है, जांच अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए हैं, और न ही समन का जवाब दिया है, जहां अदालत को लगता है कि मुकदमे को पूरा करने के लिए आरोपी की न्यायिक हिरासत आवश्यक है, जहां आगे की जांच, जिसमें संभावित बरामदगी भी शामिल है, की आवश्यकता है, वहां उपरोक्त दृष्टिकोण उन्हें लाभ नहीं दे सकता है, जिससे हम सहमत हैं।

6. श्री लूथरा द्वारा प्रस्तुत एक पहलू पर भी हमारा ध्यान गया है कि जमानत पर विचार करने के लिए नोटिस जारी करते समय, निचली अदालत जांच के दौरान आरोपी के आचरण को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देने से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि जांच के दौरान आरोपी के आचरण के कारण गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं थी। इस पहलू पर भी हम अपनी सहमति देते हैं और स्वाभाविक रूप से अंततः विचार की जाने वाली जमानत याचिका वैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगी।

10. अतः, मामले की खूबियों पर कोई टिप्पणी किए बिना, आवेदक की ओर से प्रस्तुत इस आवेदन का अंतिम निपटारा इस शर्त पर किया जाता है कि आवेदक आज से 30 दिनों के भीतर निचली अदालत के समक्ष धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उचित नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और यदि ऐसा आवेदन उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो निचली अदालत लोक अभियोजक की सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल (उपरोक्त) मामले में निर्धारित कानून के अनुसार सख्ती से उसका निपटारा करने के लिए बाध्य होगी।

मार्च 23, 2026

(न्यायमूर्ति_श्री प्रकाश सिंह)

मयंक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।